

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर आ दे श

क्रमांक ए/1543 /
(तीन-18-1/2024)

जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी, 2024


- (ए) राज्य की न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक-(2) में दर्शाये गये प्रशासनिक अधिकारी को उसी हैसियत से स्थानांतरित कर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक-(3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक-(4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री अब्दुल हमीद खान	रायसेन	आगर-मालवा	नवगठित न्यायिक जिला स्थापना के रिक्त पद पर।

- (बी) राज्य की न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक-(2) में दर्शाये गये उप-प्रशासनिक अधिकारी को उसी हैसियत से स्थानांतरित कर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक-(3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक-(4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	उप-प्रशासनिक अधिकारी का नाम	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री गया प्रसाद विश्वकर्मा	रीवा	आगर-मालवा	नवगठित न्यायिक जिला स्थापना के रिक्त पद पर।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार


{संतोष प्रसाद शुक्ला}
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)


//2//

पृ.क्र.**ए/1544**...../
(तीन-18-1/2024)

जबलपुर, दिनांक **22** फरवरी, 2024

प्रतिलिपि :-

- (1) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **आगर-मालवा, रायसेन** एवं **रीवा** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निवेदन है कि आपकी पदस्थापना से स्थानांतरित कर्मचारियों को उक्त आदेश की प्रति प्रदान कर अपनी पदस्थापना से इस प्रकार कार्यमुक्त कर निर्देश देवें कि वे नवीन पदस्थापना पर **दिनांक 26.02.2024** तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। स्थानांतरित कर्मचारियों को भारमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रजिस्ट्री को अवगत करावें।
- (2) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- (3) प्रशासनिक अधिकारी, जिला स्थापना अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


[संतोष प्रसाद शुक्ला]
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

* * * * *